भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4212

29 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: एमआईएस के अंतर्गत खरीद सीमा में वृद्धि

4212. श्री राहुल कस्वां:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत खरीद लागत की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राज्य द्वारा लागत मूल्य पर खरीदे गए अनाज की बिक्री पर नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है;

(ख) क्या उन किसानों को, जिन्होंने अपना फसल ऋण समय पर चुकाया है, 3 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) एवं (ग) : भारत सरकार किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करने की दृष्टि से ब्याज छूट योजना (आईएसएस) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों से जुड़े किसानों को 3.00 लाख रुपये तक का अल्पकालिक फसल ऋण 9% की बेंचमार्क दर पर उपलब्ध है। भारत सरकार बेंचमार्क दर पर 2% ब्याज छूट (आईएस) प्रदान करती है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% की छूट भी दी जाती है; इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएसएस के लाभ पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों में किसानों और मौजूदा केसीसी धारकों के लिए 3.00 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर बढ़ाया गया है और पशुपालन और मत्स्य-पालन से जुड़े किसानों के लिए नए केसीसी जारी किए गए हैं जिसमें 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की ऋण राशि के लिए आईएस के लाभ और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) का प्रावधान है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष में बैंकों (आईएस 2%) और किसानों (3% पीआरआई) को प्रदान की गई ब्याज सब्सिडी निम्नानुसार दी गई है:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अंतिम अनुदान
1	2019-20	16236.86
2	2020-21	19831.75
3	2021-22	18142.3

आईएसएस के तहत, राज्य सरकार या किसानों को कोई प्रत्यक्ष धनराशि/सब्सिडी जारी नहीं की जाती है। योजना के तहत विभिन्न बैंकों से प्राप्त दावों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को धनराशि जारी की जाती है।

*****